न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द

(श्री राकेश कुमार, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या :– 03/2018 (गुण्डा एक्ट)
दायर दिनांक :– 16–11–2018
निर्णय दिनांक :– 09–01–2019

अनवान

जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द

-----प्रार्थी

बनाम

श्री रमेशचन्द्र पिता श्री मांगीलाल खटीक निवासी कलालवाटी पुलिस थाना राजनगर जिला राजसमन्द

-----अप्रार्थी,गे0सा0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :–

1– श्री दिनेश बंशीवाल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट
2– सहायक लोक अभियोजक

–:: निर्णय ::–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय राजसमन्द के आदेश क्रमांक:एफ17/4(7)अअसा/2011/1527 दिनांक 01–03–2011 के अनुसरण में जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा अप्रार्थी/गे0सा0 के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3(3) के तहत इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है । गेरसायल/अप्रार्थी के विरूद्ध निम्नांकित संज्ञेय अपराधों की ईतल्ला रिपोर्ट पुलिस थाना **राजनगर** में दर्ज हुई है :–

क्र.सं.	प्र0सं0	जुर्मधारा	नतीजा पुलिस	नतीजा अदालत
1	313/16	16/54 आबकारी एक्ट	चार्ज शीट नम्बर 245/31.8.16	सजा 29.11.18
2	88/17	19/54 आबकारी एक्ट	चार्ज शीट नम्बर 20/18.05.2016	सजा 15.5.17

गैरसायल को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया । गैर सायल मय अधिवक्ता उपस्थित । गेर सायल को दिनांक 22–11–2018 को नोटिस सुनाया गया । गैर सालय द्वारा 5,000/– रूपये के जमानत मुचलके पेश किया गये । गैर सायल के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22.11.2018 को जबाब पेश कर बहस की गई ।

गेर सायल के अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया गया कि रमेश चन्द्र पिता मांगीलाल खटीक निवासी कलालवाटी राजनगर का इस्तगासा तैयार कर भिजवाया गया है। जबकि रेकार्ड के आधार पर रमेश चन्द्र पिता मांगीलाल रेगर निवासी रेगर मोहल्ला राजनगर के दस्तावेज पेश किये गये है। पेश किये गये दस्तावेजों के आधार पर गैर सायल मेरा

क्लाईन्ट नहीं होकर अन्य है। इस सम्बन्ध थानाधिकारी से जांच करवाई जावे। गैर सायल वर्तमान में बम्बई में मजदूरी कार्य करता है। अप्रार्थी के विरूद्वः गुण्डा एक्ट की कार्यवाही को खारीज किया जावें ।

गैर सायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई । थानाधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक से प्रकरण की जांच करवाई गई । थानाधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया हैं कि सेम नाम के दो व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज होने से सेवन से रमेशचन्द्र पिता मांगीलाल खटीक निवासी कलालवाटी का नाम टाईप करते समय लिखा गया जबकी पेश रिकॉर्ड श्री रमेशचन्द्र पिता मांगीलाल रेगर उम्र 36 वर्ष निवासी रेगर मोहल्ला थाना राजनगर जिला राजसमन्द का है तथा वास्तव में गुण्डा एक्ट में कार्यवाही के लिये श्री रमेशचन्द्र पिता मांगीलाल रेगर उम्र 36 वर्ष निवासी रेगर मोहल्ला थाना राजनगर जिला राजसमन्द का ही इस्तगासा मुर्तिब किया गया मगर गलती से जाति खटीक व निवासी स्थान कलालवाटी लिखा गया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि गुण्डा एक्ट में रमेशचन्द्र पिता मांगीलाल खटीक के विरूद्ध श्रीमान् के न्यायालय से की गई कार्यवाही निरस्त फरमाने हेतु निवेदन है । तथा गैर सायल श्री रमेशचन्द्र पिता मांगीलाल रेगर उम्र 36 वर्ष निवासी रेगर मोहल्ला थाना राजनगर जिला राजसमन्द के नाम से कार्यवाही की जाने हेतु श्रीमान् से निवेदन है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर गेर सायल रमेश चन्द्र पिता मांगीलाल खटीक निवासी कलालवाटी राजनगर पुलिस थाना राजनगर जिला राजसमन्द के विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत बनाया गया प्रकरण निरस्त किया जाता है। तथा श्री रमेश चन्द्र पिता मांगीलाल रेगर निवासी रेगर मोहल्ला राजनगर के विरूद्व यदि गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी है। तो नया प्रकरण तैयार कर भिजवाये और भविष्य में इस प्रकार की गलती दौबारा नहीं हो इस्तागास पूर्ण जांच कर न्यायालय में भिजवाया जावे । आदेश की एक प्रति थानाधिकारी राजनगर को भिजवायी जावे। प्रकरण खारीज किया जाता है।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 09.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द